BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 1126 of 2024

IN THE MATTER OF:

VEER SINGH …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 13.02.2025 AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 15.02.2025 ANNEXED AS ANNEXURE A-2.	

4.	**COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DT. 21.02.2025 HAS BEEN ANNEXED AS ANNEXURE A-3.**	
5.	**COPY OF THE LETTER DT. 12.03.2025 HAS BEEN ANNEXED AS ANNEXURE A-4.**	
6.	**COPY OF THE LETTER DT. 26.03.2025 HAS BEEN ANNEXED AS ANNEXURE A-5.**	
7.	**COPY OF THE LETTER DT. 24.04.2025 HAS BEEN ANNEXED AS ANNEXURE A-6.**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

COUNSEL FOR UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 07.05.2025

PLACE: JHANSI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1126/2024

IN THE MATTER OF:

VEER SINGH …………APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

REPLY ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 14.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Imraan Ali aged about 45 years S/o Mr. Usman Ali R/o Mohalla- Qaboolpura, Tehsil-Sadar, District-Badaun, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Jhansi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY ★ (INDIA) Prakash Narain Dwivedi H.O. JHANSI R.No. 47 (S) 82 ★ GOVT. OF U.P.

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. Allegations in the Application:

3. That the in the present matter, the applicant alleges that Respondent no. 14, Smt. Shashi Devi (herein referred to as the "Project Proponent"), along with the leaseholders, have been engaged in carrying out illegal sand/morrum mining in the Betwa river basin, Jhansi since 2021, in violation of the Environmental Clearance (EC) conditions and mining norms. That the private respondents are using heavy machinery, obstructing the natural river flow to facilitate the illegal sand mining. Additionally, the applicant also alleges that two villagers drowned due to pits created by illegal mining.

II. Constitution of Joint Committee by the Hon'ble Tribunal vide order dt. 23.10.2024:

NOTARY (HON) Prakash Narain Dwivedi N.O.-JHANSI R.No. 47(3)/92 GOVT. OF U.P.

4. That it is pertinent to state that this Hon'ble Tribunal constituted a Joint Committee vide order dt. 23.10.2024. The relevant portion of the order has been reproduced as under:

"13. Having regard to the seriousness of the allegation, we also deem it proper to constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, CPCB and RO MoEF&CC, Lucknow. RO MoEF&CC, Lucknow will act as a coordinating agency in this twomember joint committee. The joint committee will visit the site and ascertain the truthfulness of the allegations made in the OA, the extent of the violation, if any, by respondent nos. 11 to 14 or any other person and suggest remedial measures and submit the report before the Tribunal within eight weeks."

III. CCA Issued by UPPCB:

5. That it is pertinent to state that the Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued a Consent to Operate and Authorisation (CCA) under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to Respondent No. 11 for the period of 05.02.2024 to 31.12.2028 vide letter dt. 05.02.2024.

IV. Site Inspection by Joint Committee On 10.12.2024:

6. That in compliance of the aforesaid order, the Joint Committee visited the said site in question on 10.12.2024. That during the said inspection, it was found that from the available records the mining activities were commenced by the Project Proponent before 05.02.2024, whereas the Project Proponent obtained consent from the UPPCB on 05.02.2024. Therefore, it is necessary to obtain information regarding the number of days the project operated before obtaining consent from the State Board for further proceedings in the case.

V. Communication to District Mining Officer:

7. That subsequently, a letter dt. 13.02.2025 was written by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Jhansi to the District Mining Officer, Jhansi. That vide the said letter, the UPPCB requested the District Mining Officer, Jhansi to provide information regarding the number of days Project Proponent has operated without obtaining consent from the UPPCB.

VI. Directions Issued by Hon'ble Tribunal on the last date of hearing:

8. That the above captioned matter was last listed for hearing on 14.02.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

NOTARY (INDIA) GOVT. OF U.P.
Prakash Narain Dwivedi
H.Q. JHANSI
R.No. 47 (3) 82
Validity-9/11/25

"3. The Joint Committee in the paragraph 4.1 (xiii) has found that the District Magistrate, Jhansi vide letter dated 23.07.2024 has revoked mining lease of Project Proponent and also black listed for two years. The Respondent No. 3-UP PCB is directed to place on record the steps that have been taken for levy of environmental compensation on account of damage caused to the environment by doing the illegal mining. Let the same be filed within four weeks."

9. That in compliance of the abovementioned directions of this Hon'ble Tribunal, the response on behalf of UPPCB is herein as under.

VII. <u>Information Received from District Mining Officer</u>

10. That in compliance of the above direction, the Senior Mining Officer, Jhansi vide letter dated 13.02.2025 informed the Deponent that the Project Proponent had operated for a period of 648 days (from 16.01.2021 to 05.02.2024) without obtaining the requisite Consent to Operate.

A Copy of the letter dt. 13.02.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

VIII. <u>Recommendation for Environmental Compensation:</u>

11. That with respect to the aforementioned letter, the Deponent has written a recommendation letter dt. 15.02.2025 to the Chief Environmental Officer

NOTARY ★ (INDIA) Prakash Narain Dwivedi H.Q.-JHANSI R.No. 47 (3) 82 Validity-9/11/25 ★ GOVT. OF U.P.

(Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow. That vide the said letter it has been recommended to the Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow to impose the environmental compensation at the rate of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) per day for the violation period of 648 days which is equal to Rs. 64,80,000/- (Rupees Sixty-Four Lakhs Eighty Thousand Only) for operating without consent.

A Copy of the letter dt. 15.02.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

IX. <u>Issuance of Show Cause Notice:</u>

12. That subsequently, the UPPCB has issued a show cause notice dt. 21.02.2025 to the Project Proponent. That the said notice states that the as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board (CPCB), environmental compensation is calculated as follows:

Environmental Compensation (EC) = PI × N × R × S × LF

- PI (Pollution Index) = 80 (for red category unit)
- N (No. of default days) = 648
- R (Base factor in INR) = Rs. 250
- S (Scale of operation factor) = 0.5 (as it is a small-scale unit)
- LF (Location Factor) = 1.0 (since the unit is located in a rural area)

NOTARY ★ GOVT. OF U.P. Prakash Narain Dwivedi H.Q.-JHANSI R.No. 47 (3) 02 Validity-9/11/25

Therefore,

EC = 80 × 648 × 250 × 0.5 × 1.0 = Rs. 64,80,000/- (Rupees Sixty-Four Lakhs Eighty Thousand only)

That the notice further states that as per the Deponent's letter dated 20.11.2024, it has been recommended that an environmental compensation of Rs. 10,000 per day for 648 days, amounting to **Rs. 64,80,000/-**, be imposed on Project Proponent for operating without obtaining consent under the Water/Air Acts during this period.

Hence, vide the said notice the Project Proponent was directed to to submit its reply/explanation within 15 days from the date of receipt of this notice. A Copy of the show cause notice dt. 21.02.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

X. <u>Response from the Project Proponent:</u>

13. That the Project Proponent vide letter dt. 12.03.2025 has submitted its response against the aforementioned show cause notice dt. 21.02.2025. That Prima Facie, the contents of the response were found to be unsatisfactory by the UPPCB.

A Copy of the letter dt. 12.03.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

NOTARY ★ (INDIA) Prakash Narain Dwivedi H.Q.-VARANASI R.No. 47 (3) 82 Validity-9/11/25 ★ GOVT. OF

XI. Final Recommendation to Impose Environmental Compensation:

14. That subsequently, the Deponent has written a recommendation letter dt. 26.03.2025 to the Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow. That the said letter states that the reply of the Project Proponent vide letter dt. 12.03.2025 appeared to be unsatisfactory therefore the EC of Rs. 64,80,000/- be imposed upon the Project Proponent.

    A Copy of the letter dt. 26.03.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

XII. Levy of Environmental Compensation:

15. That it is germane to mention that the UPPCB vide letter dt. 24.04.2025 has imposed an Environmental Compensation of Rs. 64,80,000/- upon the Project Proponent.

    A Copy of the letter dt. 24.04.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-6

16. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

NOTARY Prakash Narain Dwivedi H.Q. R.No. 47 Validity-9/11/25 GOVT. OF U.P.

17.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Jhansi on this 6th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 18 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY Prakash Narain Dwivedi H.Q.-JHANSI R.No. 47 GOVT. OF U.P.

Serial No. 340 Date 6.5.25
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at ....
by shri/smt./kum. Imran Ali Regional Officer U.P. Control Board, Jhansi
from the contents of this affidavit which have been read over and explained
identified by shri........
Received the legal fee Rs. ... Cash

PRAKASH NARAIN DWIVEDI
NOTARY JHANSI
6.5.2025

ANNEXURE A-1

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

सेवा में

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

पत्रांकः—1187/3एम0एम0सी0/2024—25 दिनांक 13/02/2025

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या—1126/2024(आई0ए0 नम्बर—419/224) ''वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य'' के अन्तर्गत आच्छादित मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा संख्या—321ग, ग्राम—सलेमापुर, तहसील—मोंठ जनपद—झाँसी के द्वारा खनन कार्य किये जाने सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्र संख्या—755/OA—1126/NGT/25 दिनांकः 13.02.2025 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या—1126/2024(आई0ए0 नम्बर—419/224) ''वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य'' के अन्तर्गत आच्छादित मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा संख्या—321ग, ग्राम—सलेमापुर, तहसील—मोंठ जनपद—झाँसी के द्वारा दिनांकः 16.01.2021 से दिनांकः 05.02.2024 के मध्य अवधि में कितने दिन परियोजना संचालित रही अर्थात उक्त अवधि में परियोजना द्वारा कितने दिन खनन कार्य किय गया से सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त परियोजना में सम्बन्धित पट्टेधारक द्वारा दिनांकः 16.01.2021 से दिनांकः 05.02.2024 के मध्य अवधि में विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर तैयार किया गया विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—यथोक्त।

13/02/2024

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी—झाँसी।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड—लखनऊ।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

विभागीय पोर्टल **upmines.upsdc.gov.in** पर उपलब्ध विवरण के आधार पर दिनांकः **16.01.2021** से दिनांकः **05.02.2024** तक मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी मु0–नोनिया मोहाल,कटरा, जनपद–बांदा द्वारा खनन कर परिवहन हेतु निर्गत **EMM 11** का विवरण

पट्टा वर्ष	संचालित माह	अवधि जिसमें उपखनिज मोरम के परिवहन हेतु **EMM 11** निर्गत की गयी)	कुल दिवस
1	2	3	7
प्रथम पट्टावर्ष (दिनाकः **16.01.2021** से दिनांकः **15.01.2022** तक)	प्रथम माह (जनवरी)	दिनांकः 20.01.2021 से दिनांकः 31.01.2021 तक	12
	द्वितीय माह (फरवरी)	दिनांकः 01.02.2021 से दिनांकः 28.02.2021 तक	28
	तृतीय माह (मार्च)	दिनांकः 01.03.2021 से दिनांकः 31.03.2021 तक	31
	चतुर्थ माह (अप्रैल)	दिनांकः 01.04.2021 से दिनांकः 30.04.2021 तक	30
	पंचम माह (मई)	दिनांकः 01.05.2021 से दिनांकः 31.05.2021 तक	31
	षष्टम माह (जून)	दिनांकः 01.06.2021 से दिनांकः 30.06.2021 तक	30
	सप्तम माह (अक्टूबर)	दिनांकः 28.10.2021 से दिनांकः 31.10.2021 तक	04
	अष्टम माह (नवम्बर)	दिनांकः 01.11.2021 से दिनांकः 25.11.2021 तक	25
	नवम माह (दिसम्बर)	दिनांकः 09.12.2021 से दिनांकः 31.12.2021 तक	23
द्वितीय पट्टावर्ष (दिनाकः **16.01.2022** से दिनांकः **15.01.2023** तक)	प्रथम माह (जनवरी)	दिनांकः 01.01.2022 से दिनांकः 31.01.2022 तक	31
	द्वितीय माह (फरवरी)	दिनांकः 01.02.2022 से दिनांकः 28.02.2022 तक	28
	तृतीय माह (मार्च)	दिनांकः 01.03.2022 से दिनांकः 11.03.2022 तक	11
	चतुर्थ माह (अप्रैल)	दिनांकः 08.04.2022 से दिनांकः 30.04.2022 तक	23
	पंचम माह (मई)	दिनांकः 03.05.2022 से दिनांकः 31.05.2022 तक	29
	षष्टम माह (जून)	दिनांकः 01.06.2022 से दिनांकः 30.06.2022 तक	30
	सप्तम माह (अक्टूबर)	कोई परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं किया गया	0
	अष्टम माह (नवम्बर)	दिनांकः 18.11.2022 से दिनांकः 30.11.2022 तक	13
	नवम माह (दिसम्बर)	दिनांकः 01.12.2022 से दिनांकः 30.12.2022 तक	30
तृतीय पट्टावर्ष (दिनाकः **16.01.2023** से दिनांकः **15.01.2024** तक)	प्रथम माह (जनवरी)	दिनांकः 01.01.2023 से दिनांकः 31.01.2023 तक	31
	द्वितीय माह (फरवरी)	दिनांकः 13.02.2023 से दिनांकः 28.02.2023 तक	16
	तृतीय माह (मार्च)	दिनांकः 01.03.2023 से दिनांकः 31.03.2023 तक	31
	चतुर्थ माह (अप्रैल)	दिनांकः 01.04.2023 से दिनांकः 30.04.2023 तक	30

	पंचम माह (मई)	दिनांकः 01.05.2023 से दिनांकः 31.05.2023 तक	31
	षष्टम माह (जून)	दिनांकः 01.06.2023, 03.06.2023, 16.06.2023 व 28.06.2023 से दिनांकः 30.06.2023 तक	06
	सप्तम माह (अक्टूबर)	दिनांकः 31.10.2023 से दिनांकः 31.10.2023 तक	01
	अष्टम माह (नवम्बर)	दिनांकः 04.11.2023 से दिनांकः 30.11.2023 तक	27
	नवम माह (दिसम्बर)	दिनांकः 01.12.2023 से दिनांकः 31.12.2023 तक	31
चतुर्थ पट्टावर्ष (दिनाकः 16.01.2024 से दिनांकः 05.02.2024 तक)	प्रथम माह (जनवरी)	दिनांकः 01.01.2024 से दिनांकः 31.01.2024 तक	31
	द्वितीय माह (फरवरी)	दिनांकः 01.02.2024 से दिनांकः 05.02.2024 तक	05
कुल दिवस			649

13/02/25
खनिज मोहर्रिर,
झाँसी।

13/02/2025
खान निरीक्षक,
झाँसी।

Annexure-2

Ph/Fax : 0510-2320475 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 763/OA-1126/NGT/25 — दिनांक / Date 15.02.2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–1126/2024 (आई0ए0 संख्या–419/2024) "वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य" के अन्तर्गत आच्छादित मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या–1126/2024 (आई0ए0 संख्या–419/2024) "वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य" के रूप में विचाराधीन है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिर्पोट एवं एक्शन टेकन रिर्पोट दाखिल किये जाने के निर्देश पारित है। प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक–10.12.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखो से संज्ञान में आया है कि परियोजना द्वारा दिनांक–16.01.2021 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि परियोजना को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक–05.02.2024 से प्राप्त है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि दिनांक–16.01.2021 से दिनांक–04.02.2024 के मध्य की अवधि में परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित रही है। उक्त उल्लघंन अवधि के सम्बन्ध में परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे इस कार्यालय की आख्या इस पत्र के साथ संलग्न है। आख्यानुसार, उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये दिनांक–16.01.2021 से दिनांक–04.02.2024 के मध्य की अवधि में 648 दिनो तक खनन कार्य किया गया है, जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमो में निहित आज्ञापक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा उल्लघंन अवधि हेतु परियोजना पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति **रू0 10,000.00** प्रतिदिन की दर से अधिरोपित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा सं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद– झांसी पर दिनांक–16.01.2021 से दिनांक–04.02.2024 के मध्य की अवधि अर्थात् 648 दिनो की अवधि में राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालन की दशा में **रू0 64,80,000.00 (रूपये चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र)** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(इमरान अली)
o/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखत को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–झांसी।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H24466 / सी-2 / वायु-S-S-O / अनापत्ति / 25 दिनांक Date 21/2/25

पंजीकृत

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

सेवा में,

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन,
गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ,
जनपद–झांसी।

यह कि **मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी** जिसे आगे परियोजना कहा जायेगा तथा जिसको वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0–1126/2024 (आई0ए0 संख्या–419/2024) ''वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य'' के रूप में विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिपोर्ट एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किये जाने के निर्देश पारित किये गये। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.12.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखों से संज्ञान में आया कि परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि परियोजना को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में परियोजना राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित रहीं।

तत्क्रम में उक्त परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में कितने दिनों खनन कार्य किया गया है अर्थात् उक्त अवधि में परियोजना कितने दिनों संचालित रही है, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–775/ओ0ए0–1126/एन0जी0टी0/25 दिनांक 13.02.2025 द्वारा जिला खान अधिकारी, झांसी को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में जिला खान अधिकारी, झांसी के पत्रांक 1187/3एम0एम0सी0/2024–25 दिनांक 13.02.2025 एवं राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अविध में 648 दिनों तक खनन कार्य किया गया है, जोकि इकाई को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों मे निहित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा उल्लंघन अवधि हेतु परियोजना पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु गणना निम्नवत् हैः–

Environmental compensation (EC)=Pullution Index (PI)xNos. of days from which the non compliance has been observed (N)x Factor in rupees (R)x Factor for scale of operation (S)x Location Factor(LF)

PI=80	80 for red category unit, 50 for orange category unit, 30 for green category unit
N=648	Nos. of days from which the non compliance has been observed.
R=250	Factor in rupees
S=0.5	Factor for scale of operation=0.5 as unit is covered in small category, 1.0 medium scale unit, 1.5 for large scale unit
LF=1.0	Location factor 1.25 for population 1 to <5, 1.5 for population 5 to <10, 2.0 for 10 lacs and above. LF will be 1.0 in case unit is located > 10 KM from muncipal boundary (This sand mining project is being operated in rural area hence **LF is 1.0 considered**)
Therefore Environmental compensation (EC)	= PI x N x R x S x LF = 80 x 648 x 250 x 0.5 x 1.0 = 64,80,000.00 Total Rs. Sixty Four Lakh eighty thousand only.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 20.11.2024 द्वारा परियोजना **मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी** के विरूद्ध दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि अर्थात् कुल 648 दिनों की अवधि में राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालन की दशा में रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000.00 (रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी की संस्तुति के दृष्टिगत् सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये ज़ाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

यह कि क्यों न **मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी** के विरूद्ध 648 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000.00 (रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र)की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में इकाई के विरूद्ध उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गत।

संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, झाँसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति परियोजना स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में परियोजना का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

Annexure-4

827
12/03/25

दिनांक– 12 मार्च, 2025

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी (वृत्त–2),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषय– **जनपद जनपद झांसी की तहसील मौंठ के ग्राम सलेमापुर के गाटा संख्या–321ग में स्थित 10.00 हे0 क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन हेतु दिनांक 16.01.2021 से आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु अर्थात दिनांक 15.01.2026 तक के लिये खनन संक्रियाएं करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम–1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत समेकित सहमति प्राप्त न किये जाने के आधार पर रु0 64,80,000.00 की धनराशि पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में आंकलित कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस दिनांक 21.02.2025 ।**

महोदय,

उपरिलिखित विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–H24466/सी–2/वायु–558/झाँसी/25 दिनांक 21.02.2025, जिसके द्वारा विषयगत खनन पट्टे में दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में अर्थात 648 दिन की अवधि में 10,000.00 रु0 प्रतिदिन की दर से रु0 64,80,000.00 (रुपया चौसठ लाख अस्सी हजार) पर्यावरणीय क्षति आंकलित करते हुये, उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

2– इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि खनिजों को लब्ध करने हेतु दो प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

i. Mining Operation (खनन संक्रियायें)

ii. Quarrying (सतह में एकत्रित का वटोरना)

Mining Operation का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से होता है, जिसमें जमीन से जुड़े हुये उप खनिज को खोदकर निकाल कर लब्ध किया जाता है, जबकि Quarrying का अर्थ जमीन की सतह पर बाढ़ अथवा अन्य किसी कारण से एकत्रित उप खनिज को वटोरकर लब्ध किया जाना।

3— इसी संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि नदी तल की सतह पर बालू/मोरम, बाढ़ के फलस्वरूप जमा होकर एकत्रित हो जाती है, जिसे बिना किसी खुदाई के बटोर कर वाहन में भरकर उपयोग हेतु परिवहित किया जाता है। अतः जिस खनन पट्टे के अधीन स्वीकृत क्षेत्र में Quarrying Process के माध्यम से बालू/मोरम लब्ध की जाती है, वहां पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1981 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

"What is Quarrying?

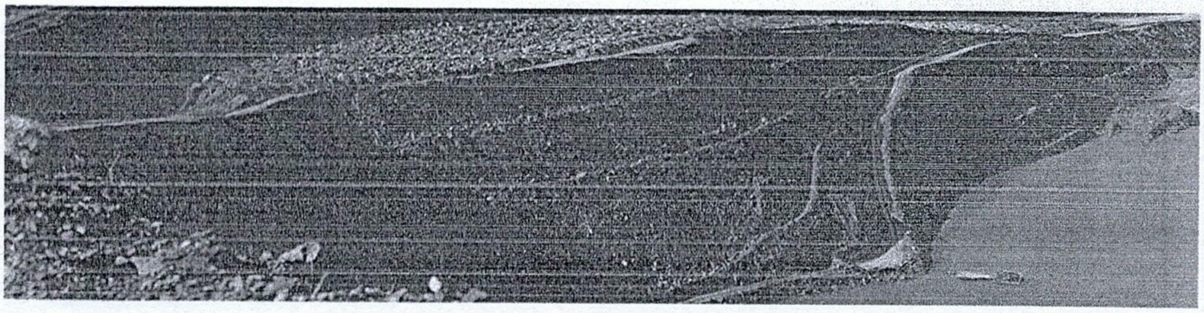

Quarrying is the process of removing rock, sand, gravel or other minerals from the ground in order to use them to produce materials for construction or other uses. So, a quarry is any such working on the surface of the earth where minerals are extracted. Quarries are also known by other names around the world: 'surface mine', 'pit', 'open pit' or 'opencast mine'. Within the UK, the largest quantity of mineral extracted by quarrying is used for construction and known as "aggregates".

What is the difference between a mine and a quarry?

In the UK a 'mine' is defined legally as an underground working and a 'quarry' as a site of mineral extraction without a roof. In other parts of the world, the world, 'mining' is used interchangeably with 'quarrying'.

The term 'quarrying' is often associated with a place where natural stone is extracted to produce building stone or dimension stone and the name is thought to be derived from the Latin 'quad aria' which described such a place.

The term 'mining' was similarly associated with places where minerals were extracted to produce metals or coal.

What is the Quarrying Process?

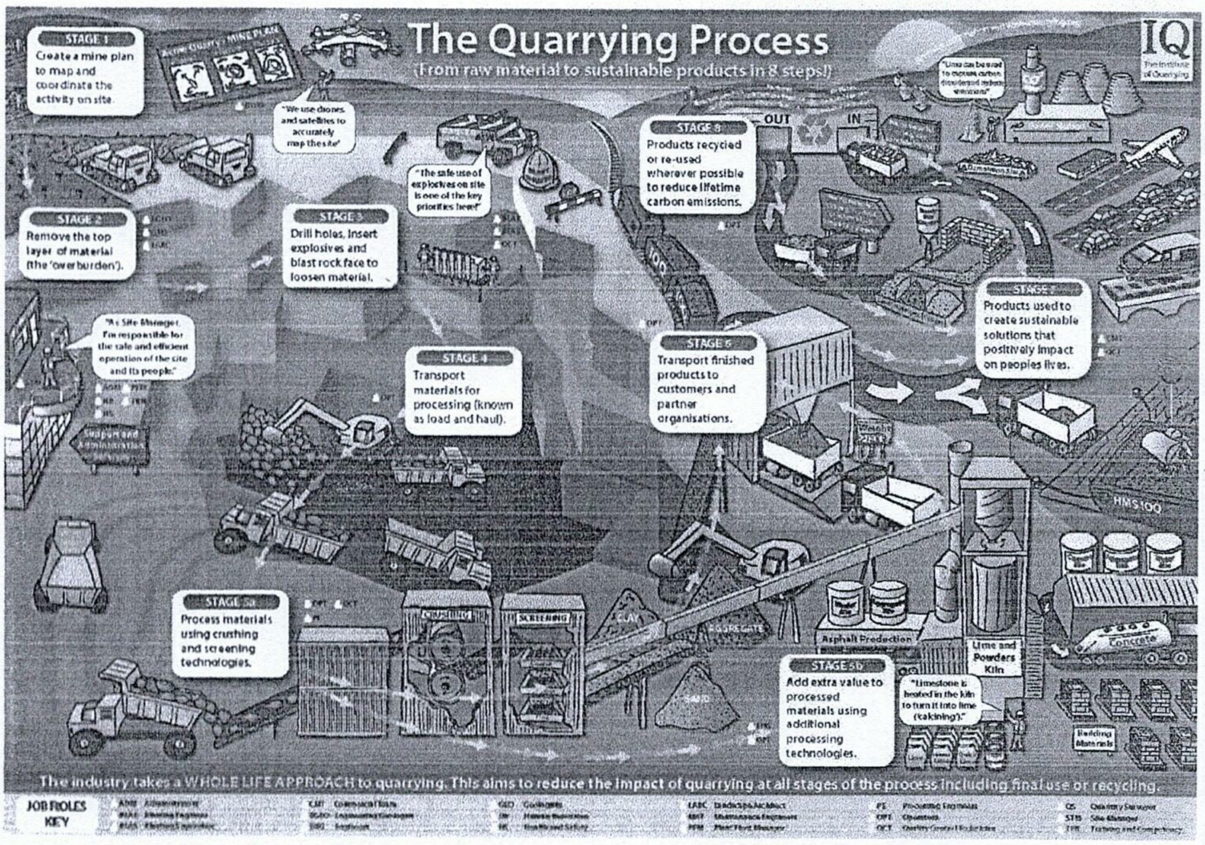

4— यह कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा 2 के खण्ड (च) बोर्ड से केन्द्रीय बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड अभिप्रेत है। अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुये कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना किसी वायू प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई 'औद्योगिक संयत्र' स्थापित या प्रचलित नहीं करेगें। खनन पट्टा प्राप्त कर खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार खनन संक्रियाएं करना विधि पूर्ण कार्यवाही है तथा खनन पट्टा के अधीन खनन संक्रियाएं

तब अधिनियम 1981 से प्रवत्त है होने के दिनांक से वर्ष 2020 तक किसी भी पट्टेदार को समेकित सहमति प्राप्त करने हेतु वाध्य नहीं किया गया है, और न ही पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की गई है।

5– यह कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा 25 के प्राविधान निम्नलिखित है :–

> **"25. नए निकायों और नए निस्सरणों पर निर्बन्धन–**
>
> **(1)** इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति–
>
> **(क)** कोई ऐसा उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया, या कोई ऐसी अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली या उसमें विस्तार या परिवर्तन न तो स्थापित करेगा और न स्थापित करने की कोई कार्यवाही करेगा जिससे मल या व्यवसायिक बहिःस्राव किसी सरिता या कुएं या मलनाली में या भूमि पर निस्तारित होने की संभावना है (ऐसा निस्सारण जिसे इसके पश्चात् इस धारा में मल का निस्सारण कहा गया है), या
>
> **(ख)** मल के निस्सारण के लिए कोई नया या परिवर्तित निकास उपयोग में नहीं लाएगा, या
>
> **(ग)** मल का कोई नया निस्सारण आरंभ नहीं करेगा:
>
> परन्तु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कोई उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया स्थापित करने की कार्यवाही की ऐसी प्रक्रिया में जिसके लिए ऐसे प्रारम्भ के पूर्व सहमति आवश्यक नहीं थी, कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ से तीन मास की अवधि के लिए या, यदि उसने तीन मास की उक्त अवधि के भीतर ऐसी सहमति के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक ऐसा करना जारी रख सकेगा।"

उपरिलिखित प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि खनन पट्टा औद्योगिक संयत्र न होकर खनिजों को लब्ध करने की अनुज्ञात प्रक्रिया है, जिसके कारण अधिनियम–1974 एवं 1981 के प्राविधान कभी भी खनन पट्टों पर लागू नहीं किये

6— इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने विषयगत क्षेत्र के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र संख्या– 602/Parya/SEIAA/5915-54489/2020 दिनांक 06.01.2021 को निर्गत की है, जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है :–

> *"The above stipulated condition will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter."*

7— उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना यहां सुसंगत होगा कि रिट याचिका संख्या–9416(M/B) of 2010, Mohd. Kausar Jah Vs. Union of India and others में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ लखनऊ ने निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2011 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत गौण खनिजों के खनन पट्टों के सम्बन्ध में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त न किये जाने के निर्णय के विरूद्ध यह अवधारित किया था कि खनिज के अन्तर्गत 'खनिज' व 'गौण खनिज' दोनो आते हैं, परन्तु जनहित में खनन पट्टों को बन्द न कर और न ही शास्ति अधिरोपित कर निम्न आदेश दिये है :–

> *"56. Having said so, the question that comes for our consideration is whether we should forthwith ban total mining in respect of mining leases who do not have the necessary clearances under the notification dated 14.9.2006. In our opinion, though prior clearance is mandatory, the approach of this Court on the present facts and circumstances while granting reliefs under Articles 226 and 227, must be to sub serve the larger public interest. Public interest also would*

reasonable rates and also not to deprive the workers, who are working, their right to life, guaranteed under Article 21 of the Constitution. Considering these two aspects, we pass the following directions in Writ Petition No.9416 (M/B) of 2010 :

(A). *In respect of mining leases whose period expired after coming into force of the notification dated 14.9.2006, as also in respect of new mining leases granted subsequent to 14.9.2006, it is mandatory to obtain environmental clearance under the Notification dated 14.9.2006. Many holders of mining leases from the district Saharanpur have applied for environmental clearance and their applications are pending and as there was some dispute as to whether minor minerals, include sand/silica falling within the definition of mining minerals, we grant time till 30.6.2011 to carry on the mining operations.*

(B). *The State Government to ensure as on 1.7.2011 that no person anywhere in the State will carry out any mining activity of minor minerals including sand/silica based on the mining leases, which do not have the environmental clearance under the notification of 14.9.2006.*

(C). *The State to take steps to implement the report of the Committee appointed in Noor Mohammad vs. State of U.P. (supra) pursuant to direction dated 6.3.2009 as referred in para 20 of the judgment and the letter dated 1st June, 2010 from the Ministry of Environment & Forest, Government of India.*

The Writ Petition No. 9416 (M/B) of 2010 is accordingly disposed of.

We find no merit in Writ Petition No.10025 of 2010 (M/B) and the same is, accordingly, dismissed. Rule discharged."

8— मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2011 एवं पूर्व पर्यावरणीय की उपरिलिखित शर्त से यह स्पष्ट है कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1974 प्राविधानों के अन्तर्गत खनन पट्टे के संचालन हेतु समेकित सहमति प्राप्त करना खनन पट्टेदार के लिए अनिवार्य नहीं है, और यदि ऐसा होता, तब राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 06.01.2021 में उसका उल्लेख होता अथवा खनन पट्टा विलेख में उसका उल्लेख हेाता अथवा खनन एवं खनिजों के परिवहन हेतु अनुमति न प्रदान की जाती।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पूर्व किसी भी खनन पट्टेदार से समेकित सहमति प्राप्त करने के निर्देश नहीं दिये हैं, अतः जब किसी प्राविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है तब शास्ति अधिरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है।

9— यहां यह भी उल्लेख करना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को कभी भी वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम—1974 की समेकित सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है और जैसे ही निर्देश प्राप्त हुये वैसे ही संदर्भ संख्या—201665/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JHANSI/2024 दिनांक—05.02.2024 प्राप्त कर ली गई। अतः किसी निर्दोष आदमी को न तो नोटिस समय से दी गई है और न ही उसका कार्य वाधित किया गया और अचानक इतनी बड़ी धनराशि रु0 64,80,000.00 (रुपया चौसठ लाख अस्सी हजार) शास्ति के रूप में अधिरोपित करने हेतु नोटिस दी गई है, इसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। शास्ति उसी व्यक्ति पर अधिरोपित की जाती है, जो निर्देश न माने, परन्तु यहां इस विषय पर कोई निर्देश ही नहीं दिये गये, तब शास्ति अधिरोपित करना क्या न्याय संगत हो सकता है ?

10— इसी सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या—7300 वर्ष 2022, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27 मार्च 2023 में (2023) 6 SCC 1 में यह स्पष्ट रूप

करना प्रशासनिक अधिकारी के लिये अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय विधि शास्त्र के अनुसार निम्न दो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को निर्णय में उद्धरित किया हैं :–

> "***(i) nemo judex in causasua,***
>
> *which means that no person should be a Judge in their own cause.*
>
> ***(ii) audi alteram partem,***
>
> *which means that a person affected by administrative, judicial or quasi-judicial action must be heard before a decision is taken. The courts generally favour interpretation of a statutory provision consistent with the principales of natural justive because it is presumed that the statutory authorities do not intend to contravene fundamental right, application of the said principles depends on the facts and circumstances of the case. Express language and basic scheme of the statute under which the administrative power is exercised, the nature and purpose for which the power is conferred, and the final effect of the excercise of that power.*
>
> ***46-*** *There is a consistent pattern of judicial through that civil consequences entail infraction not merely of property or personal rights, but also of civil liberties, material deprivations, and non-pecuniary damages. Every order or proceeding which involves civil consequences or adversely affects a citizen should be in accordance with the principles of natural justice."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये उपरिलिखित अवधारण के प्रकाश में पर्यावरण विभाग द्वारा स्वयं नोटिस देने के उपरान्त, निर्णय लिया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवधारण के अनरूप नहीं है।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि उपरिलिखित तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर विचार कर विषयगत नोटिस दिनांक–21.02.2025 को न्यायहित में निक्षेपित करने की याचना करता हूँ।

स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता

(मै0 शुभ कन्सट्रक्शन)
गाटा संख्या–321ग, ग्राम सलेमापुर,
तहसील–मौंठ, जनपद–झाँसी (उ0प्र0)

प्रतिलिपि : निम्न की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित :–

1. श्रीमान् जिलाधिकारी, झाँसी।
2. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी।

शशि देवी

(मै0 शुभ कन्सट्रक्शन)
गाटा संख्या–321ग, ग्राम सलेमापुर,
तहसील–मौंठ, जनपद–झाँसी (उ0प्र0)

Annexure-5

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 ....
Ref. No. 867/OA-1126/NGT/25

दिनांक 26.03.2025
Date........................20

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : **मा‍ननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या–1126/2024 (I.A. No. 419/ 2024) Veer Singh Versus Ministry of Environment Forest and Climate Change & Ors. के अन्तर्गत आच्छादित मैसर्स शुभ कन्स्ट्रक्शन, गाटा संख्या–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि **मैसर्स शुभ कन्स्ट्रक्शन, गाटा संख्या–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी** द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे **ओ0ए0 संख्या–1126/2024 (I.A. No. 419/2024)** के रूप मे विचाराधीन है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिर्पोट एवं एक्शन टेकन रिर्पोट दाखिल किये जाने के निर्देश पारित किये गये। प्राप्त निर्देशो के अनुपालन मे संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण **दिनांक–10.12.2024** को किया गया था। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखो से संज्ञान मे आया कि परियोजना द्वारा **दिनांक–16.01.2021** से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया, जबकि परियोजना को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक–05.02.2024 से प्राप्त है। जिला खान अधिकारी, झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये **दिनांक–16.01.2021 से दिनांक–04.02.2024** के मध्य की अवधि मे **648 दिनो** तक खनन कार्य किया गया था। इस कार्यालय के पत्र संख्या–763/ओ0ए0–1126/एन0जी0टी0/25 दिनांक–15.02.2025 के आधार पर इकाई के विरूद्ध पर राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच24466/सी–2/वायु–558/झांसी/25 दिनांक–21.02.2025 द्वारा **रू0 64,80,000.00 धनराशि** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उक्त जारी कारण बताओं नोटिस को इस कार्यालय द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री संजय को दिनांक–25.02.2025 को मैनुअली प्राप्त करा दिया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक–21.02.2025 के सम्बन्ध मे परियोजना का प्रति उत्तर इस कार्यालय में दिनांक–12.03.2025 को प्राप्त हुआ है, जो प्रथम दृष्ट्रया संतोषजनक नही है। कार्यालय की आख्या संस्तुति सहित पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे **मैसर्स शुभ कन्स्ट्रक्शन, गाटा संख्या–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, झांसी** पर राज्य बोर्ड के **पत्रांक–एच24466/सी–2/वायु–558/झांसी/25 दि0–21.02.2025** द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि करते हुये इकाई के विरूद्ध **रू0 64,80,000.00 धनराशि** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

59
05/05/25

संदर्भ सं० Ref. No H27360 /सी-2/वायु-558/25 दिनांक Date 24-4-25

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन,
गाटा नं0-321ग, ग्राम-सलेमापुर, तहसील-मोंठ,
जनपद-झांसी।

विषय- मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0-321ग, ग्राम-सलेमापुर, तहसील-मोंठ, जनपद-झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0-321ग, ग्राम-सलेमापुर, तहसील-मोंठ, जनपद-झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0-1126/2024 (आई0ए0 संख्या-419/2024) "वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य" के रूप में विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिपोर्ट एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किये जाने के निर्देश पारित किये गये। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.12.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखों से संज्ञान में आया कि परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि परियोजना को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में परियोजना राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित रहीं।

यह कि तत्क्रम में उक्त परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में कितने दिनों खनन कार्य किया गया है अर्थात् उक्त अवधि में परियोजना कितने दिनों संचालित रही है, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-775/ओ0ए0-1126/एन0जी0टी0/25 दिनांक 13.02.2025 द्वारा जिला खान अधिकारी, झांसी को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में जिला खान अधिकारी, झांसी के पत्रांक 1187/3एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 13.02.2025 एवं राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अविध में 648 दिनों तक खनन कार्य किया गया है।

यह कि इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों मे निहित आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 24466/सी-2/वायु-558/झांसी/25 दिनांक 21.02.2025 द्वारा 648 दिवस के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000/- रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

O/SA

यह कि उक्त जारी कारण बताओ नोटिस को क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री संजय को दिनांक 25.02.2025 को मैनुअली प्राप्त करा दिया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.02.2025 का प्रति उत्तर इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 12.03.2025 को प्राप्त हुआ है।

इकाई को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने विषयगत क्षेत्र के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 06.01.2021 को निर्गत की है, जिसमें उल्लिखित है:-

"The above stipulated condition will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter."

आपके खनन पट्टे को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक नं0 602/Parya/SEIAA/5915-5489/2020 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से निर्गत पर्यावरणीय अनपत्ति के अनुक्रम में खनन पट्टे हेतु राज्य बोर्ड से जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य था, किन्तु आप द्वारा उक्त के अनुपालन में राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आप द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 12.03.2025 बलहीन/असंतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दि0 26.03.2025 द्वारा खनन परियोजना के विरूद्ध 648 संचालन दिवस हेतु रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000/- रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

BMW

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.01.2025 द्वारा परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी पर रू0 64,80,000/– रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)